प्रेस विज्ञप्ति

22/2/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकवादी समूहों के एक गैंगस्टर और करीबी सहयोगी सुरेंद्र उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष कोर्ट, पंचकुला ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को 05 दिन की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने सुरेंद्र उर्फ चीकू और अन्य के खिलाफ अपहरण, हत्या, जबरन वसूली के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एनआईए ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

ईडी की जांच में पता चला कि सुरेंद्र उर्फ चीकू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खालिस्तानी आतंकी समूहों से सीधा संबंध है। सुरेंद्र उर्फ चीकू ने अपने सहयोगियों के माध्यम से खनन, शराब और टोल व्यवसायों में अपराध से प्राप्त आय का निवेश किया।

ईडी की जांच से पता चला कि सतीश कुमार और विकास कुमार मैसर्स एमडीआर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं जो 12 अक्टूबर 2020 को निगमित एक निजी कंपनी है। यह खनन और उत्खनन में शामिल है। इसके अलावा, सतीश कुमार और विकाश कुमार 21.08.2019 से 15.11.2021 तक मैसर्स निमावत ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे जो 05 जुलाई 2012 को निगमित एक निजी कंपनी है। यह पत्थर, रेत और मिट्टी के उत्खनन में शामिल है। सुरेंद्र उर्फ चीकू ने अपने अवैध रूप से अर्जित धन को उपरोक्त कंपनियों के माध्यम से निवेश किया है, जिससे अपराध की आय को वैध बनाया गया है।

इससे पहले 05.12.2023 को ईडी ने सुरेंद्र उर्फ चीकू और उसके करीबी सहयोगियों से संबंधित हरियाणा और राजस्थान में स्थित 13 परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज़, नकदी बहीखाता, संपत्ति के कागजात और 05 लाख रूपए नगद पाए गए एवं बरामद किए गए। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 60 बैंक खातों का पता लगाया गया है। तलाशी के दौरान, यह देखा गया कि गिरोह ने बिना किसी पंजीकृत विलेख के बेचने हेतु विभिन्न बयाने या समझौते किए और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और गिरोह के सदस्यों द्वारा उनका उपयोग किया गया। ऐसी लगभग 15 संपत्तियों के दस्तावेज पीएमएलए, 2002 के तहत पाए गए और फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच जारी है।